न्यायालय आशीष श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ग्वालियर, म0प्र0

प्रकरण क0–आर.सी.टी. 4222/2023

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा

................अभियोजन

विरूद्ध

1– दीपेन्द्र सिंह तोमर पुत्र सरनाम सिंह, उम्र–33 वर्ष

2– धीरेन्द्र सिंह पुत्र सरनाम सिंह तोमर, उम्र–32 वर्ष

सभी निवासी एफ.एल. क्यू. 21, डी.डी. नगर,
ग्वालियर, म0प्र0।

..............अभियुक्तगण

03.08.2023 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेशानुसार आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा की ओर से आरक्षक जितेन्द्र सिंह बघेल क0–3018 ने अप0क0–532/2023 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 3 भा.दं.सं. के अधीन आरोपीगण **1–दीपेन्द्र सिंह तोमर** पुत्र सरनाम सिंह, उम्र–33 वर्ष **2– धीरेन्द्र सिंह** पुत्र सरनाम सिंह तोमर, उम्र–32 वर्ष, सभी निवासी एफ.एल. क्यू. 21, डी.डी. नगर, ग्वालियर, म0प्र0 के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 173 द0प्र0सं0 के तहत् प्रस्तुत किया।

अभियोगपत्र के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.स. के तहत् अपराध के संबंध में दांडिक कार्यवाही किये जाने के लिये अभिलेख पर पर्याप्त आधार हैं। अत : धारा 190(1)(बी) द0प्र0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

प्रकरण केन्द्रीय आपराधिक पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे।

शासन द्वारा ए डी पी ओ. श्रीमती अनुराधा यादव उपस्थित।

आरोपीगण पुलिस के द्वारा दिए गए धारा 41–क दं.प्र.सं. के सूचनापत्र के पालन में उपस्थित। आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपीगण की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता ने अपना मैमो ऑफ अपीरियंस प्रस्तुत किया।

आरोपीगण को अभियोग पत्र की नकलें निशुल्क धारा 207 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रदान की गईं तथा पावती ली गई।

इसी स्तर पर फरियादी/आहतगण उपस्थित।

आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है। फरियादी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उक्त स्थिति में समझौते की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही हेतु मीडिएशन सेंटर को रैफर किया जाता है।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु दोपहर पश्चात् पेश हो।

आशीष श्रीवास्तव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर, म0प्र0

पुनःश्च

उभयपक्ष पूर्ववत्।

मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही सफल रही है।

इसी प्रक्रम पर फरियादी/आहतगण ने धारा 320 (1) तथा 320 (2) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया।

फरियादी/आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री संजय शर्मा के द्वारा की गई।

फरियादी/आहतगण ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के माध्यम से फरियादी/आहतगण ने उनका आरोपीगण से स्वेच्छ्या बिना किसी डर, दबाव के राजीनामा हो जाना व्यक्त करते हुए और अब कोई विवाद शेष नहीं रह जाना बताया है और राजीनामा की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित होता है कि आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण विचाराधीन है। उक्त धाराएं न्यायालय की अनुमति से शमनीय है, जिनका शमन करने के लिए वह विधिक दृष्टि सक्षम व्यक्ति है और प्रकरण में कोई लोक हित भी अंर्तवर्लित नहीं है। अतः विचारोपरान्त फरियादी/आहतगण को शमनीय अपराध के

आरोप के संबंध में राजीनामा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उभयपक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित, फरियादी/आहतगण के फोटो चित्र युक्त आवेदन पेश किया गया है। प्रकरण में कोई लोकहित अंर्तवलित नहीं है। फरियादी/आहतगण द्वारा स्वेच्छया समझौता होना व्यक्त किया है। अतः राजीनामा के फलस्वरूप 320 (1) द0प्र0स0 के आलोक में आरोपीगण दीपेन्द्र सिंह तोमर एवं धीरेन्द्र सिंह को धारा 294, 323, 506, 34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

आरोपीगण को अभिरक्षा से मुक्त किया जावे।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम का सी.आई.एस. में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावें।

आशीष श्रीवास्तव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर, म0प्र0

ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA

Digitally signed by ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA
Date: 2023.08.03 18:24:16 +0530